

प्रेषक,

भास्करानन्द,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग

देहरादून: दिनांक ॥ जुलाई, 2013

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय एवं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों हेतु जिलाधिकारियों एवं आयुक्तगण के वित्तीय स्वीकृति अधिकारों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में समय–समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त तात्कालिक आवश्यकतानुसार अवस्थापनाओं की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर एक मुश्त निर्गत की गई धनराशि के सापेक्ष किये जाने वाले कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु ₹ 20.00 लाख (₹ बीस लाख मात्र) तक की योजनाओं के लिये सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं ₹ 50.00 लाख (₹ पचास लाख मात्र) तक की योजनाओं के लिए सम्बन्धित आयुक्त को स्वीकृति का अधिकार प्रतिनिधानित किये जाने का निर्णय निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लिया गया हैः—

1— धनराशि की स्वीकृति/व्यय करते समय भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोर्चन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (NDRF) के व्यय हेतु निर्गत नवीनतम मानकों, निर्धारित समयावधि, मदों, मानकों एवं प्रतिबन्धों आदि का अनुपालन पूर्णतः सुनिश्चित किया जायेगा।

2— इस शासनादेश के निर्गत होने से पूर्व निर्गत वित्तीय सीमा से सम्बन्धित आदेशों के अंतर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों पर वर्तमान शासनादेश के अधीन जारी की जा रही वित्तीय सीमा लागू नहीं होगी।

3— राज्य आपदा मोर्चन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीनतम मानकों की परिधि से बाहर की कार्ययोजनायें कदापि स्वीकृत नहीं की जायेंगी।

4— यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अ.शा. संख्या-60 NP /वित्त अनु०-5/ 2013, दिनांक 11 जुलाई, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

मवदीय,

(भास्करानन्द)  
सचिव

संख्या— 305(1) / XVIII-(2)/F/13-12(3)/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल एवं कुमायू मण्डल, नैनीताल।
- 3— अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4— समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5— निजी सचिव—मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 6— निजी सचिव—मा० मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
- 7— राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8— बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
- 9— प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10—अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC), देहरादून।
- 11— वित्त अनुभाग—५, उत्तराखण्ड शासन।
- 12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(एम०एस०चौहान)  
अनु सचिव